न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

वाद संख्या 01/99–2000, टी0आर0 न0 143/20–21

शाख प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कुड़ू, शाखा लोहरदगा :– अधियाचक

बनाम

जे0के0 इण्टरप्राईजेज प्रो0 जसीम अहमद खॉ वगैरह, पिता–अहमद खॉ, ग्राम–कुड़ू, पो0–कुड़ू, थाना–कुड़ू, जिला–लोहरदगा :– देनदार

आदेश

यह नीलाम पत्र वाद शाख प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कुड़ू, शाखा के द्वारा दिनांक 02.09.1999 को देनदार जसीम अहमद खॉ वगैरह, पिता–अहमद खॉ, ग्राम–कुड़ू, पो0–कुड़ू, थाना–कुड़ू, जिला–लोहरदगा के विरूद्ध ऋण वसूली हेतु मो0 561026/– (पांच लाख एकसठ हजार छब्बीस) रूपये पर नीलाम पत्र के तहत् अधियाचना दायर किया गया है।

नीलाम पत्र दायर करने के पश्चात् धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 02.09.99 को नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् विभिन्न तिथियों में सुनवाई के पश्चात् दिनांक 25.09.2001 को बैंक के अधिरूचि नहीं लेने के कारण नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई समाप्त की जा चुकी थी।

पुनः दिनांक 08.01.2002 को बैंक की ओर से अधिचक्ता उपस्थिति होकर वाद को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया। बैंक के अधिवक्ता के अनुरोध पर वाद पुनर्जीवित किया गया और देनदार के दिये गये पते पर पारस टोली डोरण्डा एवं बरियातु वस्ती आलम नर्सिंग बरियातु क पते पर भी तामिला हेतु भेजा गया किन्तु दोनों ही दिये गये पते पर दोनों ही पत्र बिना तामिला के डाक द्वारा वापस किया गया है। इसतरह कई बार न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया किन्तु तामिला नहीं हो सका। वर्ष 2015 में कार्यालय पत्रांक 19, दिनांक 11.

08.2015 के द्वारा अंचल अधिकारी, कुडू को तामिला हेतु भेजा गया था। जिसपर अंचल अधिकारी, कुडू अपने कार्यालय पत्रांक 789, दिनांक 08.09.2015 द्वारा अपने चौकीदार बबलू उराँव ⅓ द्वारा नोटिस में यह अंकित किया कि जसीम अहमद की मृत्यु हो गई।

तत्पश्चात न्यायालय अपने पत्रांक 155, दिनांक 11.09.18, पत्रांक 161, दिनांक 12.10.18 एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को दिनांक 14.09.19 में सामिल होने हेतु बैंक एवं देनदार को नोटिस दिया गया। उसपर भी देनदार की मरने की सूचना दी गई। बैंक से भी वसूली की अद्यतन स्थिति अवगत कराने हेतु लिखा गया किन्तु बैंक द्वारा भी कोई प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया।

तब न्यायालय द्वारा पत्रांक 2, दिनांक 08.02.2020 से सीधे शाखा प्रबंधक यू0बी0आई0, कुडू की इस वाद में उत्तराधिकारी नामित करने हेतु आदेश दिया गया।

विभिन्न न्यायालय से होकर यह वाद दिसम्बर 20 में इस न्यायालय को प्राप्त हुए इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पत्रांक 15, दिनांक 04.01.2021, पत्रांक 56, दिनांक 27.01.2021, पत्रांक 268, दिनांक 13.04.2021 के द्वारा भी बैंक को उत्तराधिकारी नामित करने हेतु आदेश/नोटिस निर्गत किया गया किन्तु इसके वावजूद भी बैंक द्वारा कोई उत्तराधिकारी नामित नहीं किया और कभी भी बैंक उपस्थित भी नहीं हुआ।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि शाखा प्रबंधक यू0बी0आई0, कुडू शाखा द्वारा इस वाद में कोई रूचि नहीं है। इस अभिरूचि को देखते हुए लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 53 (2) के अन्तर्गत नीलाम पत्र वाद संख्या 01/99–2000, TR No 143/20-21 की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की एक प्रति शाखा प्रबंधक यू0बी0आई0, कुडू को भी भेजें।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2024.06.26 19:43:47 +05:30
Location: 10.93.49.26

सत्यापित/लेखापित

जिला नीला पत्र पदाधिकारी,
लोहरदगा